an>

Title: Regarding increase in illegal migrants from Bangladesh in Jharkhand, Assam and West Bengal.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदया, अभी दुनिया में रोजगार की प्रोटेक्शन की बात चल रही है कि अपने लोगों को रोजगार कैसे देना है, उसी से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है। मैं झारखंड राज्य से चुन कर आया हूं। झारखंड, बिहार, असम, पूरा वेस्ट बंगाल, ओडिशा, दिल्ली और मुंबई, हम सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों से जूझ रहे हैं। इसे धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, इसे रोजगार के आधार पर जोड़ना चाहिए

क्योंकि हमारा इलाका झारखंड पूरे देश के साइबर क्राइम का हब हो गया है, आतंकवाद का हब हो गया है। जब भी कोई आदमी पकड़ाता है तो पता चलता है कि वह बांग्लादेश का घुसपैठिया है। इतना ही नहीं, वे हमारे यहां के रोजगार को छीन रहे हैं। रोजगार के जितने भी साधन हो सकते हैं, वे गार्ड, सफाई-कर्मचारी और नरेगा के मजदूर, बन रहे हैं। फूड-सिक्योरिटी में जो फूड देने का सवाल है, वे उसे छीनने का प्रयास कर रहे हैं।

बांग्लादेश एक अलग देश है। वहां के नागरिक हमारे नागरिक नहीं हो सकते हैं। "आधार" के आधार पर इसी हाउस में माननीय होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि पहले "आधार" बन जाये तो हम "आधार" को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में कंवर्ट करेंगे।

दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटिजनशिप असम में चल रहा है, वह पूरा नहीं हो रहा है। फेंसिंग लग जाये, "आधार" को एनपीआर के साथ जोड़ दिया जाये, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वह एनसीआर में कंवर्ट हो जाये।

जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके लिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि प्रत्येक ब्लॉक लेवल पर यह चिन्हित करने का प्रयास किया जाये कि कौन बाहरी, विदेशी और देसी है। एक कमीशन के द्वारा उसको इमीडिएटली साल-दो साल में एक्सपीडाइट करके, बांग्लादेशी घुसपैठिओं को बांग्लादेश में और जो हिन्दुस्तान के नागरिक हैं, वे हिन्दुस्तान में रहें और उनको रोजगार का साधन मिले।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जयहिंद, जय भारत।

माननीय अध्यक्ष :

कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल,

श्री शरद त्रिपाठी,

श्री भैरों प्रसाद मिश्र और

श्री शिव कुमार उदासि को श्री निशिकांत दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।